भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1533

(दिनांक 31.07.2024 को उत्तर देने के लिए)

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पायरेटेड सामग्री

1533. श्री बिप्लब कुमार देबः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पायरेटेड सामग्री को हटाने के लिए कोई कार्रवाई शुरू की है और इस मुद्दे से निपटने के लिए कोई तंत्र स्थापित है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) और (ख): इंटरनेट पर अनधिकृत प्रतियों के प्रसारण द्वारा फिल्म पायरेसी की समस्या को रोकने के लिए फिल्मों की अनधिकृत रिकॉर्डिंग और प्रदर्शन संबंधी मामलों से निपटने हेतु प्रावधान शामिल करने के लिए चलचित्र अधिनियम, 1952 को वर्ष 2023 में संशोधित किया गया है। नई जोड़ी गई धारा 6कक, अन्य बातों के साथ-साथ, फिल्मों की इंफ्रिजिंग प्रतियों के प्रदर्शन के इरादे से फिल्मों की अनधिकृत रिकॉर्डिंग पर प्रतिबंध लगाती है। इसके अतिरिक्त, धारा 6कख किसी भी फिल्म की इंफ्रिजिंग प्रति को लाभ के लिए सार्वजनिक रूप से ऐसे प्रदर्शित करने पर रोक लगाती है, जो प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 या वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के तहत कॉपीराइट का उल्लंघन माना जाता हो। इसके अलावा, धारा 7(1ख)(ii) सरकार को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3) के तहत पायरेटेड सामग्री होस्ट करने वाले मध्यस्थों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार प्रदान करती है।

इन प्रावधानों के तहत, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड में एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया गया है, जिसके तहत चलचित्र फिल्मों के मूल कॉपीराइट धारकों या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्तियों और/या किसी अन्य व्यक्ति से इंटरनेट पर फिल्मों की पायरेटेड/इंफ्रिजिंग प्रतियों के प्रदर्शन के संबंध में शिकायतें प्राप्त करना और ऐसे लिंकों तक पहुंच को डिसएबल करने के लिए मध्यस्थों को अधिसूचना जारी करना शामिल है।

****